भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **2083** जिसका उत्तर
शुक्रवार, 1 अगस्त, 2025/ 10 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है

परित्यक्त पोतों से खतरे

†2083. डॉ. शशि थरूर :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय को केरल तट पर एमएससी ईएलएसए 3 के हाल में डूबने और इस परित्यक्त पोत से उत्पन्न पर्यावरणीय और आर्थिक जोखिमों की आशंका की जानकारी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस घटना की कोई जाँच शुरू की गई है और जवाबदेही के उपाय क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय जलक्षेत्र में तटीय सुरक्षा, पर्यावरण या नौवहन मार्गों के लिए समान खतरा पैदा करने वाले किसी अन्य परित्यक्त या लावारिस पोतों की पहचान की है;

(घ) क्या सरकार ने समुद्री निगरानी बढ़ाने और भारतीय प्रादेशिक जलक्षेत्र में परित्यक्त पोतों को शीघ्र हटाने या सुरक्षित लंगर डालना सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय किए हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (ङ): भारत सरकार को विदेशी ध्वज वाहक जलयान एमएससी एल्सा 3 से जुड़ी समुद्री घटना की जानकारी है। भारतीय तटरक्षक बल, नौवहन महानिदेशालय और पोत मालिकों द्वारा नियुक्त बचावकर्मियों द्वारा उठाए गए सक्रिय कदमों के कारण, जलमग्न जलयान से तेल रिसाव को रोका जा सका। गोताखोरों द्वारा ईंधन टैंक के सभी छेद बंद कर दिए गए हैं। नौवहन महानिदेशालय घटनाक्रम पर निरंतर नज़र रख रहा है और बचाव कार्यों का समन्वय कर रहा है। उसने एमएससी एल्सा 3 के मलबे को हटाने और संभावित प्रदूषण को रोकने सहित उचित त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश भी जारी किए हैं।

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के तहत समुद्री वाणिज्य विभाग (एमएमडी), कोच्चि द्वारा घटना के कारणों का पता लगाने के लिए सांविधिक जाँच और अन्वेषण किया जा रहा है। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 360 के अनुसार घटना की औपचारिक जाँच करने के आदेश दिए हैं।

वर्ष 2025 में भारतीय जलक्षेत्र में अन्य परित्यक्त या नष्टप्राय जलयानों का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	पोत का नाम	घटना श्रेणी / माह - वर्ष	स्थल
1	वॉन है 503	आग और विस्फोट / जून - 2025	अझिक्कल, केरल तट से 44 समुद्री मील दूर।
2	एस्सार टग VIII	ग्राउंडेड / जून - 2025	केरल के कासरगोड से दूर।
3	एमवी इंटरएशिया टेनेसिटी	जलयान में आग/ जून - 2025	कोच्चि, केरल से 50 मील पश्चिम में
4	रासायनिक टैंकर फुलडा	विस्फोट / जुलाई -2025	कांडला पत्तन से दूर

भारत सरकार ने नौवहन महानिदेशालय के माध्यम से मर्चेंट शिपिंग अधिनियम के अंतर्गत, जलयानों के मालिकों और संरक्षण एवं क्षतिपूर्ति (पीएंडआई) क्लबों को मलबे और परित्यक्त जलयानों को हटाने के लिए नोटिस जारी किए हैं। सरकार यह सुनिश्चित करती है कि ऐसे परित्यक्त जलयानों/मलबों को वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उस स्थान से हटा दिया जाता है।

'भारतीय जल क्षेत्र में/इनके निकट नष्टप्राय जलयानों के संचालन' पर दिनांक 24.02.2024 को एक समुद्री मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी), खंड 10/2024 भी तैयार की गई है।

*****